

The National Commission for Backward Classes Rules, 1994

रजिस्ट्रेशन सं. डी. एल. - 33004/96

REGN. NO. D. L. - 33004/96



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (i)
PART II - Section 3 - Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं 75] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 20, 1996/फाल्गुन 1, 1917

[No. 75] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 1996/PHALGUAN 1, 1917

कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1996

सा. का. नि. 100 (अ). - केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) की धारा 17 की उपधारा (2)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्राभर :-

- इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तों) नियम, 1996 है।
- ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) अभिप्रेत है।

(ख) "आयोग" से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अभिप्रेत है।

(ग) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2)(क) के अधीन नामनिर्दिष्ट आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(घ) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है।

(ङ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम उन्हें समनुदिष्ट हैं।

3. वेतन और भत्ते

1. अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तथा अनुज्ञेय वेतन का हकदार होगा किन्तु यह उस अध्यक्ष द्वारा पहले धारित पद पर निर्भर करेगा।
2. अध्यक्ष से भिन्न प्रत्येक सदस्य ऐसे वेतन का हकदार होगा जो सचिव, भारत सरकार को अनुज्ञेय हो।

4. रैंक और प्रास्थिति :- अध्यक्ष का रैंक, उसके द्वारा पहले धारित पद पर निर्भर करते हुए उसके मामले में यथा सुसंगत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का होगा। अन्य सदस्य, सचिव, भारत सरकार की प्रास्थिति के होंगे।

5. सत्कार भत्ता :- अध्यक्ष, समय-समय पर यथा पुनरीक्षित उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की हकदारी के अनुसार सत्कार भत्ते का हकदार होगा।

6. सदस्य के रूप में नियुक्ति पर मूल सेवा से सेवानियुक्ति - सदस्य, जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को, केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में था, आयोग के सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से ऐसी सेवा से सेवा निवृत्त समझा जाये।

7. छुट्टी :- अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित छुट्टी के हकदार होंगे :-

समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अनुसार -

(क) उपार्जित छुट्टी, अर्द्ध वेतन छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी।

(ख) समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन अस्थायी सरकारी सेवकों को यथा अनुज्ञेय असाधारण छुट्टी।

8. पेंशन -

(1) अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो इस रूप में अपनी नियुक्ति के समय केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में था, अपने विकल्प पर जो नियुक्ति की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर या जब तक वह अधिवाषिता की आयु प्राप्त करता है, जो भी पूर्वतर है प्रयोग किया जायेगा जिस सेवा से वह संबंधित है उसकी लागू नियमों के अनुसार (यथास्थिति) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से अपनी पेंशन और अन्य सेवा नियुक्ति फायदे लेने का हकदार होंगे।

परन्तु यह कि ऐसी दशा में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके वेतन में से वह रकम घटा दी जायेगी, जो उसकी सकल पेंशन, जिसके पेंशन का वह भाग भी है जो संराशित किया गया हो तथा अन्य सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य हो। वह उसकी पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति फायदे पृथक-पृथक लेने का हकदार होगा।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य जो अपनी नियुक्ति के समय केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में था, यदि उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो ऐसी नियुक्ति से ठीक पहले जिस सेवा से वह संबन्ध रखता था उसको लागू होने वाले नियमों के अधीन पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदों के लिये अध्यक्ष का सदस्य के रूप में उसकी सेवा गिनी जायेगी।

(3) अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को जो अध्यक्ष या एक सदस्य के रूप में पदधारण करने से पहले, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में था, कोई पेंशन संदेय नहीं होगी।

9. भविष्य निधि :-

(1) अध्यक्ष या कोई सदस्य जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में था और जिसे साधारण भविष्य निधि या अभिदायी भविष्य निधि के फायदों में सम्मिलित किया गया था उस निधि में उस तारीख तक अंशदान कर सकता है जब तक कि उसकी सेवा में उसको लागू होनेवाले नियमों के अनुसार वह सेवानिवृत्त होता अभिदायी भविष्य निधि की दशा में, नियोक्ता का उस निधि में संदेय अभिदान आयोग में अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति की तारीख से उन परिलब्धियों के आधार पर आयोग द्वारा संदेय होगा जिसे नियुक्ति के ठीक पहले धारित पद पर वह आहरित करता।

स्पष्टीकरण :- इस उपनियम के अधीन अपने विकल्प का प्रयोग करनेवाले सदस्य अपना विकल्प लिखित में केन्द्रीय सरकार को, अपनी नियुक्ति के छह मास के भीतर सूचित करेंगे और प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा।

(2) अध्यक्ष का कोई सदस्य जो ऐसे सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के समय, -

1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में था और ऐसी नियुक्ति से पूर्व जिस सेवा से वह संबंध रखता था, उस को लागू होने वाले नियमों के अधीन अपनी पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति फायदे आहरित करने के लिये उसने विकल्प दिया था, या
2. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या अन्य प्रानिकरण जो सरकार के पूर्णतया या सारतः स्वामित्ववादीन या नियंत्रण में था, से सेवानिवृत्त हो गया था, या
3. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा या किसी स्थानीय निकाय या कोई अन्य सरकार के पूर्णतया या सारतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रण में के किसी प्राधिकरण की सेवा में नहीं था।

अभिदायी भविष्य निधि स्कीम के फायदों में सम्मिलित किये जाने सू हकदार होंगे और प्रयोजन सू लिये समय समय पर यथा संशोधित अभिदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 द्वारा शासित होंगे।

10. अवशिष्ट उपबंध :-

(1) अध्यक्ष की सेवा की शर्तें जिसके लिये इन नियमों से कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं बनाये गये हैं निम्नलिखित होंगे :-

(क) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की दशा में यथास्थिति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को जो अनुज्ञेय हों; और

(ख) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की दशा में वही होगी जो वेतन नियतन से संबंधित सरकार के आदेशों के अधीन अनुज्ञेय हों और समय-समय पर यथा संशोधित ऐसे अन्य निबन्धनों आयोग/जांच आयोग में उनकी नियुक्ति पर सेवा निवृत्ति न्यायाधीशों को अनुज्ञेय हों।

(2) ऐसे सदस्यों की सेवा की शर्तें जिनके लिये इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं बनाये गये हैं वे होगी जो समय-समय पर सचिव, भारत सरकार को लागू होंगे।

[सं. 12011/62/93 - बी.सी.सी]
एम. एस. अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WELFARE

New Delhi, the 13th February, 1996

G.S.R. 100(E).-In exercise of the powers conferred by sub section (2) (a) of Section 17 of National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993) the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement.-

1. These Rules may be called the National Commission for Backward Classes (Salaries and Allowances and other conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 1996.
2. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993);

(b) "Commission" means the National Commission for Backward Classes.

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission nominated under Sub-Section (2) (a) Section 3 of the Act.

(d) "Member" means a Member of the Commission and includes the Chairperson.

(e) The words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning assigned to them in the Act.

3. Salaries and allowances.- (1) The Chairperson shall be entitled to such pay as admissible to a judge of the Supreme Court or a High Court depending upon the office earlier held by such Chairperson.

(2) Every Member other than the Chairperson shall be entitled to such pay as are admissible to a Secretary to the Government of India.

4. Rank and status.- The Chairperson shall have the rank of a judge of the Supreme Court or of a High Court as relevant to his case depending upon the office earlier held by him. The other Members shall have the status of a Secretary to the Government of India.

5. Sumptuary allowance.- The Chairperson shall be entitled to a sumptuary allowance as per the entitlement of sitting judge of a High Court as revised from time to time.

6. Retirement from parent service on appointment as Member.—The Members who on the date of his appointment to the Commission was in the service of the Central or a State Government, shall be deemed to have retired from such service with effect from the date of his appointment as Member of the Commission.

7. Leave.- The Chairperson and every Member shall be entitled to leave as follows :-

- a. Earned Leave, half pay leave and commuted leave in accordance with the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 as amended from time to time.
- b. Extraordinary leave as admissible to the temporary Government servants under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 as amended from time to time.

8. Pension.- (1) The Chairperson or a Member who, at the time of his appointment as such was in the service of the Central or State Government, shall at his option to be exercised within a period of six months from the date of his appointment or till he attains the age of superannuation, whichever is earlier, be entitled to draw his pension and other retirement benefits as per the rules applicable to the service to which he belonged with effect from the date of his appointment as Chairperson or Member (as the case may be) provided that, in such an event, his pay as Chairperson or Member shall be reduced by an amount equivalent to the gross pension including any portion of the pension which may have been commuted and the pension equivalent of other retirement benefits and he shall be entitled to draw his pension and other retirement benefits separately

(2) The Chairperson or a Member, who at the time of his appointment as such was in the service of the Central or State Governments, if he does not exercise the option specified in Sub-rule (1), shall count

his service as Chairperson or Member for pension and retirement benefits under the rules applicable to the service to which he belonged immediately before such appointment.

(3) No pension shall be payable to the Chairperson or a Member who immediately before assuming office as the Chairperson or a Member, was not in any service of the Central or State Government.

9. Provident Fund.-The Chairperson or a Member who on the date of his appointment to the Commission was in the service of the Central or State Government and who had been admitted to the benefits of General Provident Fund or Contributory Provident Fund, may continue to subscribe to that Fund until the date on which he retires according to rules applicable to him in his service. In the

case of the Contributory Provident Fund, the employers' contribution payable to that Fund shall, as from the date of the Chairperson or Member's appointment to the Commission be payable by the Commission on the basis of the emoluments which he would have drawn in the post he held immediately before appointment.

Explanation:- Member exercising his option under this sub-rule shall communicate his option in writing to the Central Government within six months of his appointment and option so exercised shall be final.

(2) The Chairperson or a Member who, at the time of his appointment as such Member, -

- i. was in service of the Central or State Government and had opted to draw his pension and other retirement benefits under the rules applicable to the service to which he belonged prior to such appointment; or
- ii. had retired from service under the Central or State Government a local body or other authority wholly or substantially owned or controlled by the Government, or
- iii. was not in the service of the Central or State Government or a local body or any other authority wholly or substantially owned by the Government.

shall be entitled to be admitted to the benefit of the Contributory Provident Fund Scheme and for this purpose shall be Governed by the Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962 as amended from time to time.

10. Residuary Provision.-(1) The conditions of service of the Chairperson for which no express provision has been made in these rules shall be :-

- a. In the case of sitting judge of the Supreme Court or a High Court appointed as Chairperson, the same as admissible to a sitting judge of the Supreme Court or a High Court, as the case may be; and
- b. In the case of a retired judge of the Supreme Court or a High Court appointed as Chairperson the same as those admissible under the Government's instructions relating to fixation of pay and other terms admissible to retired judges on their appointment to Commissions/Committees of Enquiry as amended from time to time.

(2) The conditions of service of the Members for which no express provision has been made in these rules shall be as those applicable to a Secretary to the Government of India from time to time.

[No. 12011/62/93-BCC]
DR. M. S. AHMED, Jt. Secy.